भारत सरकार

जल शक्ति मंत्रालय

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3951

जिसका उत्तर 19 दिसंबर, 2024 को दिया जाना है।

.....

असम में बाढ़ की स्थिति

3951. श्री फणी भूषण चौधरी:

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा असम में प्रत्येक वर्ष विनाशकारी बाढ़ आपदा से नागरिकों की रक्षा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं क्योंकि चीन और भूटान मानसून के दौरान ब्रह्मपुत्र नदी में अपने बांधों से पानी छोड़ रहे हैं;

(ख) क्या सरकार इस मुद्दे के समाधान के लिए कोई सक्रिय कदम उठा रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) असम में बाढ़ और भूक्षरण के स्थायी समाधान की दिशा में सरकार द्वारा क्या पहल की गई है/की जा रही है?

उत्तर

जल शक्ति राज्य मंत्री श्री राज भूषण चौधरी

(क) और (ख): वर्ष 2006 में स्थापित संस्थागत विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र के अंतर्गत चीन के साथ सीमा पार नदियों से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की गई। इसके अलावा, भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित जगहों पर जल स्तर और बहाव का निरीक्षण और निगरानी की जाती है।

भूटान से भारत में प्रवाहित होने वाली सामान्य नदियों पर 36 जल-मौसम विज्ञान स्थलों पर जल-मौसम विज्ञान संबंधी आंकड़ों के संग्रह और प्रसारण से संबंधित कार्य की प्रगति की निगरानी के लिए वर्ष 1979 में एक संयुक्त विशेषज्ञ दल (जेईटी) का गठन किया गया है, जिसमें भूटान के ताला एचईपी, चुखा एचईपी और कुरिचु आदि बांधों से निस्सरण भी शामिल हैं। उपरोक्त 36 स्टेशनों से प्राप्त आंकड़ों का उपयोग भारत में केंद्रीय जल आयोग द्वारा बाढ़ पूर्वानुमान तैयार करने के लिए किया जाता है।

(ग): बाढ़ प्रबंधन और कटाव रोधी स्कीमों की आयोजना, जांच और कार्यान्वयन राज्य सरकारों द्वारा अपने स्वयं के संसाधनों से राज्य में प्राथमिकता के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार

महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बाढ़ प्रबंधन के लिए तकनीकी मार्गदर्शन और संवर्धनात्मक वित्तीय सहायता के माध्यम से राज्यों के प्रयासों को सहायता प्रदान करती है। बाढ़ प्रबंधन के संरचनात्मक उपायों को मजबूत करने के लिए, केंद्र सरकार ने ग्यारहवीं और बारहवीं योजना के दौरान बाढ़ नियंत्रण, कटाव-रोधी, जल निकासी विकास, समुद्री कटाव-रोधी आदि से संबंधित कार्यों के लिए राज्यों को केंद्रीय सहायता प्रदान करने के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) लागू किया था, जो बाद में वर्ष 2017-18 से 2020-21 की अवधि के लिए "बाढ़ प्रबंधन और सीमा क्षेत्र कार्यक्रम" (एफएमबीएपी) के एक घटक के रूप में जारी रहा और इसे 2026 तक आगे बढ़ा दिया गया। असम राज्य के लिए बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत 2383.11 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत वाली कुल 141 बाढ़ प्रबंधन परियोजनाओं को शामिल किया गया है। बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम (एफएमपी) के अंतर्गत ग्यारहवीं योजना के बाद से असम राज्य को जारी की गई कुल केंद्रीय सहायता 1557.04 करोड़ रुपये है। असम राज्य में एफएमबीएपी के एफएमपी घटक के अंतर्गत पूरी हुई 111 परियोजनाओं से लगभग 7.365 लाख हेक्टेयर क्षेत्र और लगभग 1.745 करोड़ आबादी को सुरक्षा मिली है।

इसके अलावा, असम सरकार ने सूचित किया कि राज्य ने अब तक 4,532 किलोमीटर लम्बे तटबंधों का निर्माण किया है, 1,280 कटाव-रोधी और नगर संरक्षण कार्यों को पूरा किया है, 122 बड़े और 545 माइनर स्लूस गेट निर्मित किए हैं, तथा ऊँचा करके लचीलेपन के उच्च मानक हासिल करते हुए मौजूदा:डाइको की 1047.85 कि.मी तक की लम्बाई को मजूबती प्रदान करना है।

विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना "असम एकीकृत नदी बेसिन प्रबंधन कार्यक्रम (एआईआरबीएमपी)" के अंतर्गत, असम सरकार द्वारा एक बुरीदेहिंग नदी पर और दूसरी मानस-बेकी नदी पर दो व्यापक बाढ़ प्रबंधन स्कीम शुरू की गई हैं।

इसके अलावा, केन्द्रीय जल आयोग जान-माल की क्षति को कम करने और उपयुक्त जलाशय ऑपरेशन सुनिश्चित करने के लिए बाढ़ प्रबंधन के गैर-संरचनात्मक उपाय के रूप में 24 घंटे तक के लीड समय के अल्पावधि बाढ़ पूर्वानुमान के साथ-साथ 7 दिवसीय बाढ़ परामर्शी पूर्वानुमानों सहित दीर्घावधिक पूर्वानुमान जारी करता है। केन्द्रीय जल आयोग असम में 30 स्तरीय बाढ़ पूर्वानुमान केन्द्रों का रखरखाव करता है।

*****